भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4191**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

नकली उर्वरकों की बिक्री

4191. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दादरा और नगर हवेली में नकली उर्वरकों की बिक्री पर ध्यान दिया है अथवा इस संबंध में कोई निरीक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां नकली उर्वरक बेचने वाले व्यक्तियों के संबंध में निरीक्षण किया गया है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है;
(ग) नकली उर्वरकों की बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;
(घ) क्या सरकार ने ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां नकली उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि होने की सूचना मिली है;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) ऐसे उर्वरकों के उपयोग के कारण किसानों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव से प्राप्त सूचना के अनुसार, नकली उर्वरकों की बिक्री के किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (च): उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)-1985 में उर्वरक-वार विस्तृत विनिर्देशन निर्धारित किए गए हैं। कोई भी उर्वरक, जो उक्त विनिर्देशनों को पूरा नहीं करता है, को कृषि प्रयोजन के लिए देश में बेचा नहीं जा सकता है। एफसीओ के खंड 19 में उन उर्वरकों की बिक्री अथवा उत्पादन का कड़ाई से निषेध किया गया है, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। घटिया/नकली उर्वरकों की कोई भी बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडनीय है।

इसके अलावा, उर्वरकों का गुणवत्ता नियंत्रण राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। राज्य में नकली उर्वरकों की बिक्री को विनियमित करने के लिए, फील्ड स्तर पर जागरूकता और सतर्कता के लिए एक जिला गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है तथा प्रेस नोट, टीवी वार्ता, किसान गोष्ठी, कृषि मेला, कृषि महोत्सव आदि के माध्यम से नियमित रूप से किसानों के बीच जागरूकता का प्रसार किया जाता है।

****